अति तत्काल
फैक्स / स्पीड पोस्ट से

संख्या : 14/3/2012-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 10 जुलाई, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू योजना के लिए 6 जुलाई, 2012 को आयोजित की गई अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को 6 जुलाई, 2012 को आयोजित ईओयू योजना के लिए अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. कृपया इस विभाग को अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों पर कार्यान्वयन रिपोर्ट प्राथमिकता आधार पर भेजें।

(संजीत सिंह)
निदेशक
टेलीफैक्स : 23062109
ई-मेल : sanjeet@nic.in

संलग्नक : यथोपरि

1. **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग**
2. **सीबीईसी (सदस्य, सीमा शुल्क), वित्त मंत्रालय**
3. **सीबीडीटी (सदस्य, आयकर), वित्त मंत्रालय**
4. **डीजीएफटी**
5. **संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**
6. **संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
7. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय**
8. **विकास आयुक्त, सीएसईजेड, एफएएसईजेड, आईएसईजेड, केएएसईजेड, एमएसईजेड, एनएसईजेड, एसईईपीजेड – एसईजेड और वीएसईजेड**
9. **महानिदेशक, ईपीसीईएस**
10. **सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय**

प्रति प्रेषित : वाणिज्य सचिव के पीपीएस / अपर सचिव(एमपी) के पीपीएस / संयुक्त सचिव (एडब्ल्यू) के पीएस / निदेशक(एसएस) के पीएस

ईओयू योजना के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 6 जुलाई, 2012 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) का कार्यवृत्त

वाणिज्य सचिव श्री राहुल खुल्लर की अध्यक्षता में कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में 6 जुलाई, 2012 को ईओयू के लिए अनुमोदन बोर्ड की तीसरी बैठक (2012 सीरीज) हुई। अध्यक्ष महोदय ने बीओए के सभी सदस्यों का स्वागत किया और इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा लिया गया।

3.1(12) : 13 मार्च, 2012 को आयोजित बीओए की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि

बोर्ड ने मद संख्या 2.2(12) और 2.3(12) के संबंध में निम्नलिखित संशोधनों के साथ 13 मार्च, 2012 को आयोजित बीओए की दूसरी बैठक (2012 सीरीज) के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

3.2(12) : कार्यवृत्त में उल्लिखित विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.14(ख) को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.15(ख) के रूप में पढ़ा जाए

3.3(12) : 6.5.1(च) के तहत मैसर्स पिलकिंगटन आटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर के प्रापण की अनुमति देने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय को दृष्टांत के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा

3.2(12) : मैसर्स गुडरिच एयरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड - विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त मदों को शामिल करना
अनुमोदन बोर्ड ने विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त मदों अर्थात 3814 की वार्षिक क्षमता के साथ एयरक्राफ्ट के लिए इलेक्ट्रानिक एसेंबली के समावेशन के लिए अनुमति प्रदान करने के संबंध में यूनिट के अनुरोध पर विचार किया और विकास आयुक्त, सीएसईजेड तथा डीजीईपी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.3(12) : मैसर्स जनरल मोटर्स टेक्नीकल सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड – विनिर्माण की मदों की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त सेवा गतिविधियों को शामिल करने के लिए

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट सेवा की गतिविधियों जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (सीएडी) आधारित डिजाइन तथा इंजीनियरिंग विकास और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं तथा ईओयू योजना के तहत जीएम ग्लोबल इंजीनियरिंग एफर्ट्स को निर्यात तथा वाहन बेंचमार्किंग की गतिविधि में शामिल है और यह कि कंपनी ने पॉजिटिव एनएफई भी प्राप्त किया है। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव के बारे में विकास आयुक्त की सिफारिश तथा आवेदक के निवेदनों पर भी विचार किया कि यूनिट ने उपर्युक्त सेवाओं के निर्यात से 100 लाख रूपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त निर्यात की परिकल्पना की है और इसमें पूंजी माल का कोई अतिरिक्त आयात भी परिकल्पित नहीं है। विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने अतिरिक्त सेवा गतिविधियों अर्थात (क) पूंजी परियोजना इंजीनियरिंग सेवा, (ख) पर्यावरण इंजीनियरिंग सेवा, (ग) एनर्जी और यूटिलिटी इंजीनियरिंग सेवा, (घ) सुविधा प्रबंधन तथा संपर्क इंजीनियरिंग सेवा, (ड.) इंडस्ट्रियल

क्लीनिंग इंजीनियर के समावेशन के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की, जहां तक प्रस्तावित गतिविधियां यूनिट के मूल व्यवसाय से संबंधित हैं।

3.4(12) : मैसर्स एसएमसी मेडिकल – (i) विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत सेवा की गतिविधियों को शामिल करना और (ii) विनिर्माण की मद (मदों) की ब्राड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त मदों अर्थात मोल्ड एवं कंपोनेंट को शामिल करना

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमेकेनिकल, इलेक्ट्रानिक तथा मेडिकल प्रॉडक्ट की असेंबली और उप-असेंबली सहित औद्योगिक कंपोनेंट एवं पार्ट्स सहित प्लास्टिक एवं प्लास्टिक गुड्स के विनिर्माण और निर्यात में शामिल है तथा यूनिट ने पॉजिटिव एनएफई प्राप्त किया है। यूनिट ने अनुरोध की गई सेवा गतिविधियों अर्थात पूंजी माल की डिजाइन एवं इंजीनियरिंग सेवा (मोल्ड का टूलिंग रिपेयर, संशोधन, स्पेयर निर्माण एवं डिजाइन) के समावेशन के बाद 12.50 लाख रूपए प्रतिवर्ष के अतिरिक्त निर्यात का अनुमान व्यक्त किया है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड और डीजीईपी की सिफारिशों के आलोक में अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.5(12) : मैसर्स व्हील इंडिया लिमिटेड – विनिर्मित वस्तुओं के साथ विनिर्मित वस्तुओं तथा उनके निर्यात से संबंधित माल के समेकन के लिए अनुमति

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट टैंक (सशस्त्र वाहन) के लिए एल्युमिनियम व्हील एवं कंपोनेंट, फोर्ज्ड एल्युमिनियम ब्लैंक, एल्युमिनियम पुल्ली और फोर्ज्ड एल्युमिनियम व्हील के विनिर्माण और निर्यात के लिए एलओपी का धारक है। कंपनी ने विनिर्मित वस्तुओं के साथ एल्युमिनियम व्हील कट सेक्शन, बोल्ट / स्टड, नट, व्हील क्लीनिंग किट, कंटेनर में व्हील क्लीनर आदि जैसे माल के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त, एमएसईजेड तथा राजस्व विभाग की सिफारिशों के आलोक में अनुमोदन बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 6.2(1) के अनुसार अनुरोध को मंजूरी प्रदान की तथा यह शर्त रखी कि ऐसी मदों के व्यौरे निर्यात दस्तावेजों में अलग से दर्ज किए जाएंगे और एनएफई, डीटीए बिक्री पात्रता की गणना तथा अन्य निर्यात लाभों आदि में उनके मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे अधिप्राप्त / आयातित माल को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं होगी।

3.6(12) : मैसर्स नूट्रा स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड – 1 मार्च, 2012 से 12 माह की अगली अवधि के अग्रिम डीटीए बिक्री के समावेशन हेतु समय सीमा बढ़ाना

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की है कि यूनिट नूट्रास्यूटिकल उत्पाद अर्थात 'सोलनसोल', 10 डीएबी, पोलिकोसानोल, बोसवेलिक आदि के विनिर्माण और निर्यात में शामिल है। उसे 1800 लाख रूपए के कुल मूल्य के लिए अग्रिम टीडीए बिक्री की मंजूरी प्रदान की गई थी। तथापि, वह पर्याप्त निर्यात नहीं कर सकी। यूनिट ने अपने मुख्य उत्पादों के लिए डब्ल्यूएचओ – जीएमपी का अनुमोदन प्राप्त किया है तथा उसे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में यूएस एफडीए तथा यूरोपीय प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा तथा उसे निर्यात के अधिक आदेश प्राप्त होंगे। उपर्युक्त कारणों पर विचार करते हुए यूनिट को 25 मार्च, 2011 को आयोजित बीओए में 1 मार्च, 2011 से 29 फरवरी, 2012 तक विस्तार प्रदान किया गया। यूनिट ने पुन: 1 मार्च, 2012 से 28 फरवरी, 2013 तक एक और वर्ष के लिए विस्तार की मांग की है। यूनिट ने अनुरोध किया है कि फार्मा उद्योग के लिए बल्क और इंटरमीडिएट उत्पादों के विनिर्माण की परिपक्वता अवधि लंबी होती है तथा प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी के स्थिरीकरण में समय लगता है, और इस

प्रकार, वैधता बैच, स्थिरता डाटा प्रमाण पत्र के लिए 18 से 24 माह की आवश्यकता होती है जो यूएस, यूरोप आदि में एफडीए द्वारा अनुमोदन की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। विकास आयुक्त, वीएसईजेड की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कि यूनिट ने 32 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 27.62 करोड़ रूपए का निर्यात किया है तथा निर्यात की संभावना अच्छी है, अनुमोदन बोर्ड ने 31 अगस्त, 2012 तक अग्रिम डीटीए बिक्री की अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

3.7(12) : इन्नवोल मेडिकल इंडिया लिमिटेड – बीमार यूनिट का जीर्णोद्धार – अनुमोदन बोर्ड द्वारा योजना की मंजूरी

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट ने वर्ष 2000 में उत्पादन शुरू किया परंतु गुणवत्ता मानकों के कारण निर्यात नहीं कर सकी। निष्पादन अच्छा न होने के कारण 2003 में यूनिट को बीआईएफआर में भेजा गया। तथापि, एक एनआरआई ग्रुप द्वारा यूनिट का अधिग्रहण किया है और मई, 2000 में इस यूनिट के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्तुत अनुमोदन के समक्ष रखा गया तथा एचबीपी (परिशिष्ट 14-1-एम) के प्रावधान के अनुसार अनुमोदन बोर्ड ने 30 मई, 2012 तक अधिग्रहीत पूंजी माल एवं कच्चा माल का उपयोग करने के लिए 5 साल के लिए एनएफई का पालन करने की अवधि बढ़ाने के साथ जीर्णोद्धार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। तथापि, प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं के कारण यूनिट का जीर्णोद्धार नहीं हो सका और पुन: अपनी एनएफई बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 5 साल के लिए और समय बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड से संपर्क किया है तथा एक नई जीर्णोद्धार योजना प्रस्तुत की है। विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड ने मामले की सिफारिश की है।

तथापि, डीजीईपी ने उल्लेख किया कि 3 मई, 2011 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय द्वारा एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिसका अभी निर्णय नहीं हुआ है। डीजीईपी ने अनुरोध किया कि इस संबंध में विस्तृत रोड प्राप्त करने के लिए मामलों को आस्थगित कर दिया जाए। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मामले को आस्थगित करने का निर्णय लिया ताकि डीजीईपी इस संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त करके अगली बीओए बैठक के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

3.8(12) : मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (वेदांता) – अपील – विद्युत ऊर्जा को उपभोज्य वस्तु के रूप में मानने के संदर्भ में स्पष्टीकरण

अनुमोदन बोर्ड ने विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.51 के प्रावधानों को नोट किया जो उपभोज्य वस्तुओं को परिभाषित करता है तथा उसने एचबीपी 2009-14 के पैरा 6.5.1 को भी नोट किया जो उपभोज्य वस्तुओं को पात्र माल मानते हुए उन्हें शुल्क से छूट प्रदान करता है और उसने विकास आयुक्त, एनएसईजेड तथा डीजीईपी के अनुरोधों को भी नोट किया कि शक्ति की मात्रा को अलग करना व्यवहार्य नहीं होगा जिसका प्रयोग ईओयू में उस उपभोज्य वस्तु से अन्यथा विनिर्माण प्रक्रिया में होता है। विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अपील को सार्थक नहीं पाया और तदनुसार यूनिट के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

3.9(12) : मिजोरम वर्सेस बंबो प्रोडक्ट – निर्यात बाध्यता में ढील देना तथा डीटीए में उत्पादों की बिक्री के लिए अनुमति प्रदान करना

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यह यूनिट मिजोरम सरकार की एक संयुक्त उद्यम यूनिट है तथा बांस और लकड़ी के उत्पादों के निर्यात के लिए जुलाई, 2003 में इसे एलओपी प्रदान किया गया। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि हालांकि यूनिट ने जनवरी, 2007 में

वाणिज्यिक गतिविधि शुरू कर दी, परंतु वन विभाग द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों के कारण यह उत्पादन जारी नहीं रख सकी। यूनिट ने अभी तक कोई निर्यात नहीं किया है। इसने अभी तक अपनी एनएफई बाध्यताओं को भी पूरा नहीं किया है। तथापि, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड ने सूचित किया है कि चूंकि इस ईओयू का समर्थन करने के लिए मिजोरम सरकार की ओर से जोरदार सिफारिश की गई है जो पिछड़े क्षेत्र में स्थित है, विकास आयुक्त के पत्र दिनांक 12 अप्रैल, 2012 के माध्यम से दो साल के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाई गई है। यूनिट ने निर्यात की बाध्यता में ढील देने तथा अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एफएएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया है यूनिट के निरीक्षण के लिए उनके द्वारा भेजी गई टीम ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है। वंचित क्षेत्र में स्थित होने तथा राज्य सरकार की जोरदार सिफारिश तथा गहरी रूचि को देखते हुए (सीधे रोजगार के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर) अनुमोदन बोर्ड ने निर्यात बाध्यता में ढील देने तथा उत्पादन आरंभ होने की तिथि से एक साल के लिए अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति प्रदान करने के लिए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.10(12) : मैसर्स इंडस्ट्रियल मिनरल कंपनी – कार्यालय उपकरण के रूप में वीडियो कंफ्रेंसिंग के उपकरण का आयात करने के लिए

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की है कि यूनिट गारनेट अब्रेसिव ग्रिट सुपर गारनेट तथा लीमोनाइट के निर्यात में शामिल है और मैसर्स इंटेलीकॉन प्राइवेट लिमिटेड से 1312110 रूपए मूल्य के उत्पादन आटोमेशन उपकरण (कार्यालय उपकरण शीर्ष के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण) के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह इंस्टालेशन को अपडेट करते हुए अपने विदेशी पार्टनर के साथ निरंतर संपर्क में बने रहने के लिए है। वीडियो कांफ्रेंस के उपकरण विशेषज्ञ सलाह तथा तकनीकी सहायता के लिए अपेक्षित निजी दौरों से परहेज करके विदेशी मुद्रा के बहि:प्रभाव को कम करेंगे। विकास आयुक्त, एमएसईजेड की सिफारिश तथा यूनिट के निर्यात निष्पादन को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

3.11(12) : मैसर्स रिपल फ्रैगरेंस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड – अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमत अवधि की वैधता बढ़ाने के साथ मूल्य सीमा में वृद्धि करना

अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट अगरबत्ती, कोन, धूप, हैंडिक्राफ्ट, सुगंधित मोमबत्ती, सुगंधित तेल, एयर फ्रेशनर आदि के विनिर्माण और निर्यात में शामिल है। यूनिट ने 13 जुलाई, 2009 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।

यूनिट को 23 अप्रैल, 2010 को 50 लाख रूपए की अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति प्रदान की गई तथा इसके बाद 27 अक्टूबर, 2010 को इसकी राशि बढ़ाकर 200 लाख रूपए कर दी गई। यूनिट ने अब तक 199 लाख रूपए की डीटीए बिक्री की है। अग्रिम डीटीए बिक्री की वैधता अवधि 24 अप्रैल, 2012 को समाप्त हो गई तथा यूनिट ने अभी तक अग्रिम डीटीए बिक्री को नियमित नहीं कर पाई है। विकास आयुक्त, सीएसईजेड की सिफारिश के आलोक में अनुमोदन बोर्ड ने विचार-विमर्श के बाद 23 अप्रैल, 2012 से 6 माह की अवधि के लिए अग्रिम डीटीए बिक्री की अवधि बढ़ाने और डीटीए बिक्री की सीमा बढ़ाकर 250 लाख रूपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

***

भाग-2

अनुमोदन बोर्ड ने 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्तों/यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित अनुमोदनों की पुष्टि की

(क)	फरवरी और मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	सीएसईजेड
(ख)	जनवरी, फरवरी और मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एफएएसईजेड
(ग)	फरवरी और मई, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	आईएसईजेड
(घ)	1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	केएएसईजेड
(ङ)	फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एमएसईजेड
(च)	जनवरी, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	एनएसईजेड
(छ)	21 फरवरी, 2012 से 23 अप्रैल, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन शून्य है	एसईईपीजेड – एसईजेड
(ज)	मार्च, 2012 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन	वीएसईजेड

प्रतिभागियों की सूची

1	**श्री एस आर राव, वाणिज्य सचिव**	**अध्यक्ष**
2	**श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग**	
3	**श्री संजीत सिंह, निदेशक, वाणिज्य विभाग**	**सदस्य सचिव**
4	**श्रीमती रूचिरा पंत, महानिदेशक (डीजीईपी), राजस्व विभाग**	
5	**श्री मनोज कुमार अरोड़ा, अपर निदेशक, डीजीईपी, सीबीईसी, राजस्व विभाग**	
6	**श्री एस किशोर, विकास आयुक्त, वीएसईजेड और सीएसईजेड**	
7	**श्री सी पी एस बख्शी, विकास आयुक्त (प्रभारी), एनएसईजेड**	
8	**श्री महेंद्र जैन, विकास आयुक्त, केएसईजेड**	
9	**श्री अनिल बाम्बा, विकास आयुक्त केएएसईजेड**	
10	**श्री ए के राठौर, विकास आयुक्त, एसईजेड**	
11	**श्री संजीव नंदवानी, विकास आयुक्त, एफएएसईजेड**	
12	**श्रीमती लता शुक्ला, विकास आयुक्त, मुंद्रा पोर्ट और एसईजेड**	
13	**श्री विजय एन शेवाले, विकास आयुक्त, सूरत एसईजेड, सूरत**	
14	**श्री एस एन पाटिल, संयुक्त विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड**	
15	**श्री पी एस रमन, उप विकास आयुक्त, एसईईपीजेड – एसईजेड**	
16	**सुश्री दीपशिखा शर्मा, उप सचिव (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग**	
17	**सुश्री सुरभि शर्मा, अवर सचिव, (आईटीए-1), सीबीडीटी, राजस्व विभाग**	
18	**डा. एल बी सिंघल, अपर डीजीएफटी**	
19	**श्री एस एस कुमार, अवर सचिव, वाणिज्य विभाग**	
20	**श्री ओ पी कपूर, उप डीजीएफटी, ईपीसीईएस**	

***